न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 3/2018   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2018/00016**

दायर दिनांक :– 07.05.2018   **निर्णय दिनांक :– 06.11.2024**

01. अमानसिंह पुत्र रिडमलसिंह जाति राजपूत नि. बारा खुर्द तहसील ओसियां जिला जोधपुर
02. गेनकंवर पुत्री रिडमलसिंह जाति राजपूत नि. बारा खुर्द तहसील ओसियां जिला जोधपुर

–अपीलाण्ट

बनाम

01. धापू कंवर पत्नी सांवलसिंह जाति राजपूत निवासी बोम्बेपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
02. भंवर कंवर पुत्री सांवलसिंह जाति राजपूत निवासी बोम्बेपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
03. ग्राम बोम्बेपुरा टेकरा सरपंच तहसील बाप जिला फलोदी

–रेस्पोडेन्टस

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 16 ग्राम बोम्बेपुरा ग्राम पंचायत बोम्बेपुरा

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता
रेस्पोडेन्टस संख्या 2 की और से

–:: निर्णय ::–

अपीलाण्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की इस आशय से पेश किया है कि मौजा ग्राम बोम्बेपुरा (पूर्व ग्राम टेकरा) तहसील बाप के खसरा नम्बर 402 रकबा 687–04 बीघा कृषि भूमि आई हुई है, जो राजस्व रेकर्ड में पूर्व में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के कमशः पति/पिता सांवलसिंह पुत्र भूरसिंह की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी। जिसमें सांवलसिंह का 1/6 हिस्सा था। तदुपरान्त अपीलार्थीगण के पिता रिडमलसिंह पुत्र भूरसिंह ने उक्त वर्णित खसरा नम्बर 402 रकबा 687–04 बीघा में से सांवलसिंह के हिस्से की भूमि में से रकबा 50–00 बीघा भूमि को जरिये पंजीबद्ध विकय पत्र दिनांक 26.06.1984 को सांवलसिंह से उनके जीवनकाल में ही बऐवज प्रतिफल राशि अदा कर खरीद की, जिस विकय पत्र को अति जिला मजिस्ट्रैट एवं अति कलेक्टर, पंजीयन एव मुद्रांक [illegible] प्राप्त कर प्रमाणित किया गया। अपीलार्थीगण के पिता रिडमलसिंह पुत्र भूरसिंह द्वारा उक्त खसरे में से भूमि रकबा 50–00 बीघा खरीद किये जाने के पश्चात पटवारी हल्का [illegible] विकय पत्र की प्रति नामान्तरकरण भरने हेतु प्रस्तुत कर दी थी तथा पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण नहीं खोले जाने के कारण सांवलसिंह के फौत होने पर खसरा नम्बर 402 बाबत राजस्व रेकर्ड में उसकी पत्नी व पुत्री यानि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 16 ग्राम पंचायत बोम्बेपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2025.09.23 14:15:48 IST
Reason: SelfAttested

06.11.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पूर्व ग्राम टेकरा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया तथा विक्रय पत्र के आधार पर खरीद सुदा भूमि रकबा 50 बीघा को अपीलार्थीगण के पिता रिडमलसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के वंशज सांवलसिंह द्वारा अपने हिस्से में से 50–00 बीघा भूमि बेचान कर दिये जाने के कारण सांवलसिंह के सम्पूर्ण हिस्से बाबत प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज किया गया नामान्तरकरण आंशिक रूप से अपास्त व खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण के पिता रिडमलसिंह पुत्र भूरसिंह द्वारा सांवलसिंह से खसरा नम्बर 402 में से सांवलसिंह के हिस्से की रकबा 50–00 बीघा भूमि को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र से खरीद किये जाने के कारण अपीलार्थीगण को विवादित भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे तथा बाद खरीद से ही अपीलार्थीगण के पिता रिडमलसिंह पुत्र भूरसिंह का खरीदसुदा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। तदुपरान्त रिडमलसिंह के देहान्त के पश्चात बहैसियत विधिक वारिसन अपीलार्थीगण ही है जिनका रिडमलसिंह के फौत के पश्चात से ही मौके पर उसके पिता की खरीदशुदा रकबा 50–00 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण भी अपीलाधीन नामान्तरकरण आंशिक रूप से अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। सांवलसिंह द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि में से 50–00 बीघा का बेचान कर दिये जाने से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के कोई हक अधिकार नहीं रह जाते है इस कारण भी आलौच्य नामान्तरकरण आंशिक रूप से अपासत व निरस्त किये जाने योग्य है। अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु अलग से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अपील प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रत्यर्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ने जवाब में बताया कि ग्राम टेकरा वर्तमान नवसृजित ग्राम बोम्बेपुरा के खसरा नम्बर 402 रकबा 987–04 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि के खातेदार रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के पिता सांवलसिंह पुत्र भूरसिंह ने उक्त भूमि का बेचान रिड़मलसिंह पुत्र भूरसिंह को नहीं किया था और न ही ऐसा बैचाननामा [illegible] में ही है और न ही उक्त अपील के आधार पर अनुतोष अपीलांट पाने का हकदार है। खसरा नम्बर 402 रक[illegible] बीघा भूमि के खातेदार सांवलसिंह पुत्र भूरसिंह ने अपने नाम दर्ज भूमि [illegible] किसी प्रकार का [illegible] पत्र अपीलांट के पिता रिड़मलसिंह के पक्ष में तहरीर नहीं करवाया था और न ही रिड़मलसिंह [illegible] जीवनकाल में उक्त बैचाननामा के आधार पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं [illegible] थी और न ही नामान्तरकरण संख्या 16 मौजा बोम्बेपुरा सांवलसिंह का विरासत नामान्तरकरण ही है। नामान्तरकरण संख्या 16 मौजा बोम्बेपुरा रहननामा का है। नामान्तरकरण संख्या 16 मौजा बोम्बेपुरा रहननामा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2025.09.23 14:15:48 IST
Reason: SelfAttested

06.11.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नामान्तरकरण है तथा नामान्तरकरण संख्या 16 मौजा टेकरा शिवनाथसिंह पुत्र विजयसिंह के फौतेदगी का नामान्तरकरण है। उक्त दोनों नामान्तरकरण ग्राम पंचायत टेकरा द्वारा सही तरीके से पूर्ण प्रकिया अपनाकर ही स्वीकृत किये गये है। उक्त दोनों नामान्तरकरण से अपीलांटस का कोई सरोकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता रिड़मलसिंह को उक्त भूमि का कभी बेचाननामा नहीं किया था। अपीलांटस द्वारा जिस नामान्तरकरण की अपील पेश की है उस नामान्तरकरण से अपीलांटस का कोई सरोकार नहीं है। उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर न तो रिडमलसिंह का कब्जा था और न ही अपीलांट का ही है जिस नामान्तरकरण संख्या 16 की अपील अपीलांट ने पेश की है वह नामान्तरकरण पूर्ण प्रकिया कर ही स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेट संख्या 2 के पिता ने अपने नाम दर्ज भूमि का बैचाननामा अपीलांट के पिता को नहीं किया था न ही ऐसा कोई बेचाननामा प्रभाव में ही है। अपीलांट के पिता को ऐसा कोई बेचाननामा नहीं किया है। उकत अपील म्याद बाहर होने से काबिल खारिज के है। अपीलांटस ने जो म्याद तथ्य दर्शाये है उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट को छूट दिया जाना कानूनन आवश्यक नहीं है। अपील अपीलांट काबिल खारिज के है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि मौजा ग्राम बोम्बेपुरा (पूर्व ग्राम टेकरा) तहसील बाप के खसरा नम्बर 402 रकबा 687–04 बीघा कृषि भूमि आई हुवी है, राजस्व रेकर्ड में पूर्व में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के कमशः पति/पिता सांवलसिंह पुत्र भूरसिंह की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी। जिसमें सांवलसिंह का 1/6 हिस्सा था। तदुपरान्त अपीलार्थीगण के पिता रिडमलसिंह पुत्र भूरसिंह ने उक्त वर्णित खसरा नम्बर 402 रकबा 687–04 बीघा में से सांवलसिंह के हिस्से की भूमि में से रकबा 50–00 बीघा भूमि को जरिये पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 26.06.1984 को सांवलसिंह से उनके जीवनकाल में ही बऐवज प्रतिफल राशि अदा कर खरीद की, जिस विकय पत्र को अति जिला मजिस्ट्रैट एवं अति कलेक्टर, पंजीयन एव मुद्रांक जोधपुर द्वारा नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर प्रमाणित किया गया। अप्राथीलार्थीगण के पिता रिडमलसिंह पुत्र भूरसिंह द्वारा उपरोक्त खसरे में से भूमि रकबा 50–00 बीघा खरीद किये जाने के पश्चात पटवारी हल्का को विकय पत्र की प्रति नामान्तरकरण भरने हेतु प्रस्तुत कर दी थी तथा पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण नहीं खोले जाने के कारण सांवलसिंह के फौत होने पर खसरा नम्बर 402 बाबत राजस्व रेकर्ड में उसकी पत्नी व पुत्री यानि प्रत्यर्थी संख 1 व 2 के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख 16 ग्राम पंचायत बोम्बेपुरा पूर्व ग्राम टेकरा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया तथा विकय पत्र के आधार खरीद सुदा भूमि रकबा 50 बीघा को अपीलार्थीगण के पिता [illegible] के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह [illegible] आधारों पर प्रस्तुत है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण [illegible] एवं तथ्यात्मक भूल की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के वंशज सांवलसिंह द्वारा अपने हि[illegible] में से 50–00 बीघा भूमि बेचान कर दिये जाने के कारण सांवलसिंह के सम्पूर्ण हिस्से बाबत प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज किया गया नामान्तरकरण आंशिक रूप से अपास्त व खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2025.09.23 14:15:48 IST
Reason: SelfAttested

06.11.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अपीलार्थीगण के पिता रिडमलसिंह पुत्र भूरसिंह द्वारा सांवलसिंह से खसरा नम्बर 402 में से सांवलसिंह के हिस्से की रकबा 50—00 बीघा भूमि को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र से खरीद किये जाने के कारण अपीलार्थीगण को विवादित भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे तथा बाद खरीद से ही अपीलार्थीगण के पिता रिडमलसिंह पुत्र भूरसिंह का खरीदसुदा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। तदुपरान्त रिडमलसिंह के देहान्त के पश्चात बहैसियत विधिक वारिसान अपीलार्थीगण ही है जिनका रिडमलसिंह के फौत के पश्चात से ही मौके पर उसके पिता की खरीदशुदा रकबा 50—00 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण भी अपीलाधीन नामान्तरकरण आंशिक रूप से अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। सांवलसिंह द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि में से 50—00 बीघा का बेचान कर दिये जाने से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के कोई हक अधिकार नहीं रह जाते है इस कारण भी आलौच्य नामान्तरकरण आंशिक रूप से अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना स्वीकार करते हुवे अपीलांट की अपील को स्वीकार किये जाने के जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि ग्राम टेकरा वर्तमान नवसृजित ग्राम बोम्बेपुरा के खसरा नम्बर 402 रकबा 987—04 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि के खातेदार रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के पिता सांवलसिंह पुत्र भूरसिंह ने उक्त भूमि का बेचान रिड़मलसिंह पुत्र भूरसिंह को नहीं किया था और न ही ऐसा बैचाननामा प्रभाव में ही है और न ही उक्त अपील के आधार पर अनुतोष अपीलांट पाने का हकदार है। खसरा नम्बर 402 रकबा 687—07 बीघा भूमि के खातेदार सांवलसिंह पुत्र भूरसिंह ने अपने नाम दर्ज भूमि में से किसी प्रकार का विकय पत्र अपीलांट के पिता रिड़मलसिंह के पक्ष में तहरीर नहीं करवाया था और न ही रिड़मलसिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त बैचाननामा के आधार पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की थी और न ही नामान्तरकरण संख्या 16 मौजा बोम्बेपुरा सांवलसिंह का विरासत नामान्तरकरण ही है। नामान्तरकरण संख्या 16 मौजा बोम्बेपुरा रहननामा का है। नामान्तरकरण संख्या 16 मौजा बोम्बेपुरा रहननामा का नामान्तरकरण है तथा नामान्तरकरण संख्या 16 मौजा टेकरा शिवनाथसिंह पुत्र विजयसिंह के फौतेदगी का नामान्तरकरण है। उक्त दोनों नामान्तरकरण ग्राम पंचायत टेकरा द्वारा सही तरीके से पूर्ण प्रकिया अपनाकर ही स्वीकृत किये गये है। उक्त दोनों नामान्तरकरण से अपीलांटस का कोई सरोकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता रिड्मलसिंह को उक्त भूमि का कभी बेचाननामा नहीं किया था। अपीलांटस द्वारा जिस नामान्तरकरण [illegible] की है उस नामान्तरकरण से अपीलांटस का कोई सरोकार नहीं है। उक्त भूमि के किसी [illegible] तो रिडमलसिंह का कब्जा था और न ही अपीलांट का ही है [illegible] अपील अपीलांट ने पेश की है वह नामान्तरकरण पूर्ण प्रकिया कर ही स्वीकृत कि[illegible]या है। रेस्पोडेट संख्या 2 के पिता ने अपने नाम दर्ज भूमि का बैचाननामा अपीलांट के पिता को नहीं किया था न ही ऐसा कोई बेचाननामा प्रभाव में ही है। अपीलांट के पिता को ऐसा कोई बेचाननामा नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2025.09.23 14:15:48 IST
Reason: SelfAttested

06.11.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलादी)

उक्त अपील म्याद बाहर होने से काबिल खारिज के है। अपीलांटस ने जो म्याद तथ्य दर्शाये है उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट को छूट दिया जाना कानूनन आवश्यक नहीं है। अपीलांट की अपील खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 सुनी गयी। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात नामान्तरकरण, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने ग्राम बोम्बेपुरा पटवार हल्का टेकरा के खसरा 402 रकबा 687-04 बीघा भूमि के पूर्व खातेदार सांवलसिंह के हिस्से की भूमि में से 50-00 बीघा भूमि अपीलांट के पिता रिडमलसिंह ने पंजीबद्व विक्रय पत्र के खरीद की थी, नामान्तरकरण संख्या 16 मौजा टेकरा का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त विरासत नामान्तरकरण 16 में अपीलांट द्वारा क्रय की गई भूमि के खसरा नम्बर का अकंन नहीं है उक्त विरासत नामान्तरकरण अन्य किसी खसरान् से संबंधित है। नामान्तरकण संख्या 16 मौजा बोम्बेपुरा जो कि रहन दर्ज किये जाने का है। अपीलांट ने नामान्तरकरण संख्या 16 बोम्बेपुरा (पूर्व ग्राम टेकरा) के विरूद्व प्रस्तुत की है परन्तु उक्त दोनों ग्रामों के नामान्तरकण 16 का अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहा है अपीलांट ने किस नामान्तरकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट के पिता ने उक्त भूमि पंजीबद्व विक्रय पत्र के दिनांक 26.06.1984 को क्रय की गयी थी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में ऐसा कोई युक्ति युक्त कथन नहीं किया है कि अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः वकील अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील के बिन्दू सिद्व नहीं होते है। अपीलार्थीगण की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार की जानी उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 भली-भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, फलोदी, जिला फलोदी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2025.09.23 14:15:48 IST
Reason: SelfAttested

(सु... R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
फलोदी